भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2631
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्याय बंधु योजना

2631. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्याय बंधु योजना के अंतर्गत कितने निःशुल्क क्लब कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या न्याय विभाग के अधिकारी निःशुल्क क्लबों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए नियमित रूप से विधि शिक्षा संस्थानों का दौरा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2021 से निःशुल्क क्लबों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए विधि कॉलेजों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत सरकार के न्याय विभाग (डीओजे) ने युवा विधिक बुद्धि में प्रो-बोनो विधिक सेवाओं की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रो-बोनो क्लब योजना प्रारंभ की थी । वर्ष 2020 से, 89 विधि विद्यालयों को शामिल किया गया । इन प्रो-बोनो क्लबों की कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए, समय-समय पर डीओजे से अधिकारियों द्वारा विधि विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों और मासिक बैठकों (ऑफलाइन और ऑनलाइन) में प्रो-बोनो क्लब के सदस्यों के साथ नियमित आधार पर बातचीत की गई है । इन विधि विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे प्रो-बोनो क्लब के अधीन विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) है । इसमें व्यापक तौर पर वकीलों को प्रो-बोनो मुकदमेबाजी सहायता प्रदान करना, पूरे वर्ष प्रो-बोनो सेवाओं के लिए कतिपय संख्या में घंटों को देना, आसपास के गांवों में सामुदायिक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना, अनुसंधान और दस्तावेजी कार्य करना तथा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना आदि शामिल है । प्रत्येक प्रो-बोनो क्लबों को केवल दो वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रूपए का वार्षिक अनुदान दिया जाता है । प्रो-बोनो क्लबों को वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है । 15 जुलाई, 2023 तक इन विधि विद्यालयों को 11.8 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है ।

****